

Case name

State of Maharashtra v. Bombay High Court (2008)

Case

महाराष्ट्र राज्य बनाम राजेंद्र वशि्वनाथ बोड्रे और अन्य।

Brief Summary

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में दोहराया कि मौत की सजा केवल दुर्लभतम मामलों में दी जानी चाहिए, जहां अपराध इतना जघन्य और क्रूर है कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा हैरान है। अदालत ने कहा कि मृत्युदंड का उपयोग संयम से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब अपराध इतना गंभीर हो कि उसे अंतिम सजा दी जाए। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की नीति का पालन करते हुए आजीवन कारावास की सजा को सख्ती से और समान रूप से पूरा करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

Main Arguments

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मुख्य दलीलें मृत्युदंड और आजीवन कारावास देने के इर्द-गर्द केंद्रित थीं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मौत की सजा केवल असाधारण मामलों में दी जानी चाहिए, जहां अपराध अत्यधिक गंभीर है। अदालत ने उम्रकैद के दोषियों को माफी के मुद्दे पर भी चर्चा की, यह देखते हुए कि उम्रकैद को 14 साल की सजा में परिवर्तित करना किसी भी ठोस कानूनी आधार पर आधारित नहीं था।

Legal Precedents or Statutes Cited

फैसले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं, 272, 201 और 498ए का हवाला दिया गया था।

Quotations from the court

- "मौत की सजा दुर्लभतम मामलों में दी जानी चाहिए जहां अपराध इतना जघन्य और क्रूर है कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा इतनी हैरान है कि वह न्यायिक अधिकारियों को मौत की सजा देने की उम्मीद करेगी, चाहे उनकी इच्छानुसार या अन्यथा मौत की सजा पर व्यक्तिगत राय कुछ भी हो।" - "आजीवन कारावास से गुजरने वाले दोषी को माफी का दावा करने

का अधिकार है। हालांकि, यह उचित सरकार को तय करना है कि माफी दी जाए या नहीं। " - " इस प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि आजीवन कारावास के दोषियों को छूट दी जाती है और बिना किसी ठोस कानूनी आधार के चौदह साल की सजा पूरी करने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। "

Present Court's Verdict

उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित नर्णयों पर भरोसा किया:- बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684-दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1979) 2 एस. सी. सी. 1058

Conclusion

उच्चतम न्यायालय के फैसले ने भारत में मृत्युदंड और आजीवन कारावास देने के सिद्धांतों की पुष्टि की। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की नीति का पालन करते हुए आजीवन कारावास की सजा को सख्ती से और समान रूप से पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। नर्णय ने आजीवन कैदियों को छूट देने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, इस बात पर जोर देते हुए कि माफी देने का नर्णय ठोस कानूनी आधारों पर आधारित होना चाहिए।